

बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि 29 मार्च, 1984 ई० ।

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तु के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखे गए प्रश्नोत्तर ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : 2, 67, 69, एवं 70-क	1—12
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 1228, 1229, 1232, 1234, 1245, 1253, 1254 एवं 1257 ।	13—26
परिशिष्ट-1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	27—67
परिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	65—154
दैनिक निबंध :	155-156

टिप्पणी : किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो पुनः उक्त प्रारोप पर निगरानी विभाग से जाँच कराने का भीचित्य क्या है ?

श्री राम जयपाल सिंह यादव—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) चूँक डा० पी० लकड़ा पर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है अतः निगरानी विभाग को प्रागे की कार्रवाई बंद करने हेतु लिखा जा रहा है।

सचिव का स्थानान्तरण।

1361. श्री बालिक राम—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पटौरी कृषि बाजार समिति के सचिव गत पाँच वर्षों से कार्यरत है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नियमानुसार तीन वर्षों के बाद स्थानान्तरण करने के नीति के पालन करते हुये स्थानान्तरण करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग—पटौरी बाजार समिति के सचिव जनवरी, 1980 से पटौरी में पदस्थापित हैं। इस तरह ये पटौरी में विगत 4 वर्ष 2 माह से पदस्थापित हैं।

नियमानुसार सचिव के स्थानान्तरण निकट भविष्य में किया जायग।

जलापूर्ति योजना।

1369. श्री वृषण पटेल—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के शहरी क्षेत्र में पाईप जलापूर्ति के लिए 1984-85 वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये का उपबंध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमालपुर नगरपालिका का पाईप जलापूर्ति का प्राक्कलन तीन करोड़ पच्चास लाख रुपये का है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जमालपुर नगरपालिका के पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य कब शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) शहरी क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति के लिए 1984-85 में कुल 3.26 करोड़ रु० का उपबंध है जिसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 2.46 करोड़ एवं जनजाति क्षेत्र के लिए 0.80 करोड़ रुपये हैं।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) सामान्य क्षेत्र की कुल 22 स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनमें जमालपुर शामिल नहीं है। इन सभी 22 योजनाओं को पूरा करने के लिए 4.72 करोड़ रु० की आवश्यकता है जबकि 1984-85 में 2.46 करोड़ रु० ही उपबंधित है। जमालपुर की जलापूर्ति योजना 3 करोड़ रु० से अधिक की है। फिर भी निधि की उपलब्धता के मामले में अगले वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट २

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन के मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर ।

सूची-१

अष्टम् बिहार विधान-सभा के एकादश सत्र के १० अनागत अल्प-सूचित प्रश्नों के उत्तर ।

क्रमांक	सदस्य का नाम	सांकेतिक चिह्न
१	श्री उदय नारायण राय	अ० सू०-३,
२	श्री जगन्नाथ झा	अ० सू०-७,
३	श्री कुमुद रज्जु का	अ० सू०-११,
४	श्री जनार्दन तिवारी	अ० सू०-४,
५	श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह	अ० सू०-२,
६	श्री फकीरचन्द राम	अ० सू०-४,
७	श्री बालिक राम	अ० सू०-७,
८	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	अ० सू०-१०,
९	श्री राम नरेश सिंह	अ० सू०-११,
१०	श्री रामेश्वर सिंह	अ० सू०-११ ।

प्राक्कलन के आधार पर कार्यारम्भ ।

अ० सू०-३. श्री उदय नारायण राय—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बैशाली जिला अन्तर्गत राघोपुर प्रखण्ड के तैरसिया छीकिया पंचायत एवं हाजीपुर प्रखण्ड के हरवंशपुर पंचायत का कटाब गंडक नदी के तीव्र गति से जारी है फलस्वरूप १०० हरिजन एवं ३० पिछड़ी जाति के लोगों का घर गंडक नदी के गर्भ में विलीन हो गया है;